

No-EDN-U(E-IIIP)Inquiry/2018/- 15334-335
Office of the Deputy Director of Higher Education,
Una Distt Una (Himachal Pradesh) Tel: 01975223850
Email: ddhe-una-hp@gov.in
Dated: Una the 26 Dec, 2019

To

✓ All the Principals/Headmasters,
GSSS/GHS in Distt Una(HP)

Subject-
Memo,

Notification

Please refer to the Directorate of Higher Education Shimla Office Letter No EDN-HE(21) F(10) 12/2017- Janmanch dated 11th Dec, 2019 regarding subject cited above.

In this connection you are directed to go through the notification (Copy attached), notified by the Government and compliance the orders on top priority basis so that action taken report may be appraised to the Higher Authority accordingly. Any laxity in this matter will be viewed seriously and action as warranted under CCS/CCA Rules will be initiated against the defaulters.

Encls- As above

[Signature]
Deputy Director Higher Education Una,
Distt Una (HP) 26/12/19

Endst No.

Even

dated

Dec, 2019

1. The Director of Higher Education Shimla(HP) for information please.
2. Office Copy for Record.

[Signature]
Deputy Director of Higher Education,
Una Distt Una(HP)

हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

08 DEC 2019

G. J. J. J.

संख्या आर. डी. -एफ- (4)-1/2018-लूज

शिमला -2 27 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, राज्य स्तरीय जनमच के आयोजन हेतु अनुबन्ध 'क' पर संलग्न रूपरेखा तत्काल प्रभाव से निर्धारित करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं

आदेशानुसार

डा० आर० एन० बल्ला
सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार

- पष्ठांकन संख्या यथोपरि दिनांक शिमला -2 27 नवम्बर, 2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
- 1 निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश शिमला -2.
 - 2 समस्त निजी सचिव, माननीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश शिमला -2.
 - 3 निजी सचिव, माननीय चीफ विप, हिमाचल प्रदेश शिमला -2.
 - 4 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हिमाचल प्रदेश शिमला -2.
 - 5 विशेष सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश शिमला -2.
 - 6 निदेशक, समस्त विभाग, हिमाचल प्रदेश।
 - 7 निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, कुसुम्पट्टी शिमला-9.
 - 8 निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आई.टी. भवन मैहली शिमला-171013.
 - 9 त्रिष्ट तकनीकी निदेशक एच एस.आई.ओ., राष्ट्रीय सूचना केन्द्र शिमला-2.
 - 10 समस्त सहायक, हिमाचल प्रदेश।
 - 11 रक्षक नस्ति

Smt. Sumita Vashisht

(मजीत बराल)
अवर सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष न० 177-2627810

उपरोक्त तीनों के अन्तर्गत विस्तृत कार्य योजना इस प्रकार रखी:-

1. जिले में कार्यान्वयन की जाने वाली मुख्य निर्माण एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा:

इस खण्ड के अन्तर्गत समस्त उपायुक्त महोदयों से उनके जिला में चल रहे मुख्य निर्माण एवं कल्याणकारी योजनाओं की एक सूची प्राप्त की जायेगी तथा इस सूची पर जिला में किये जा रहे कार्य का अवलोकन किया जायेगा। इस खण्ड के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के सभी विभागों के द्वारा कार्यान्वयन की जा रही योजनायें जिन्हें कि उपायुक्त महोदय एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा हेतु दिया जायेगा।

इसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जायेगा। आरम्भ में यह सूची उपायुक्त अपने आप व स्थानीय विधानसभा सदस्य एवं लोकसभा सदस्यों के माध्यम से तैयार करेंगे परन्तु जैसे जैसे जन मंच का कार्य आगे बढ़ता जायेगा जन प्रतिनिधि की प्राथमिकता को देखते हुये इस सूची में अन्य योजनायें भी शामिल की जा सकती हैं। इस समीक्षा के दौरान प्रमुख विभागों के विभागाध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे तथा जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री उपयुक्त समझे उन सचिवों को भी बुलाया जा सकता है। इस चर्चा के दौरान जिला के सभी अधिकारीगण, विधानसभा सदस्य एवं लोकसभा सदस्य हाजिर रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योजनाओं के कार्यान्वयन में आवश्यक आदेश पारित करेंगे तथा ऐसी सभी योजनाओं की निगरानी राज्य स्तर पर एक साफ्टवेयर बनाकर की जायेगी। इस समीक्षा के अन्तर्गत जिला में हुये जन मंचों की शिकायत निवारण व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का निवारण, की भी समीक्षा की जायेगी।

2. जन प्रतिनिधि जिरामें कि माननीय लोकसभा सदस्य, माननीय विधानसभा सदस्य और शहरी एवं ग्रामीण निजि निकायों के चुने गये प्रतिनिधि द्वारा दी गई शिकायतें एवं सुझाव:-

योजनाओं सम्बन्धी समीक्षा बैठक के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों से बैठकें करेंगे इस दौरान चुने हुये प्रतिनिधि जिनके द्वारा अपनी शिकायतें पहले ही विभाग द्वारा बनाये गये एक साफ्टवेयर में दर्ज कर ली गयी हों को चयनित कर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष बोलने का मौका दिया जायेगा। जिन जिलों में ऐसे जन प्रतिनिधियों की संख्या 400 से अधिक है वहाँ एक से अधिक राज्य स्तरीय जन मंच का आयोजन किया जा सके। इन समस्याओं के अनावरण हेतु भी एक साफ्टवेयर तैयार कर निगरानी की जायेगी।

3. जन साधारण द्वारा सरकार के सेवा प्रदान पर दिये गये विचार।

विभाग एक विशेष एप तैयार करके जिसके माध्यम से जनता सरकार से अकाक्षाओं का विवरण लिया जायेगा तथा इसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस साफ्टवेयर में जो भी सूचना उपलब्ध होगी वह जन साधारण के साथ शेयर नहीं की जायेगी तथा इस डेटाबेस की पहुँच केवल सचिव ग्रामीण विकास व प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के पास उपलब्ध होगी। इसके आधार पर आगामी नीति निर्धारण के कार्य हेतु सचिव, ग्रामीण विकास कार्यवाही करेंगे।

स्थान:-

राज्य स्तरीय जन मंच के स्थान का चयन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जायेगा तथा इस आयोजन की तिथि से एक माह पहले घोषित कर दिया जायेगा। राज्य स्तरीय जन मंच के दौरान भी अन्य जन मंचों की पद्धति पर चाय एवं भोजन की व्यवस्था की जायेगी।

III-3